



सत्यमेव जयते

क्षेत्रीय कार्यालय – देहरादून (उत्तराखण्ड)

Central Board of Secondary Education
Regional Office – Dehradun (Uttarakhand)



फ: के०मा०शि०बो०/क्षे०का०/दे०दून/परीक्षा-12वीं/2023/81689/3530468
F: CBSE/RO/DDN/EXAM-XII/2023/SCH-81689/Aff.No3530468

दिनांक : 28.06.2023
Date : 28.06.2023

प्रधानाचार्य (81689)
श्री प्रभु ग्रीनविले चिल्ड्रेन अकादमी,
बाहुबलीपुर, भगवानपुर, हरिद्वार,
उत्तराखण्ड –247661

विषय : सीनियर सेकेंडरी स्तर तक अपग्रेड किये जाने के संबंध में।
Sub: Upgradation up to Senior Secondary level- Reg.

महोदय/महोदया,
Sir/Madam,

उपरोक्त विषयक, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, मुख्यालय, के पत्र संख्या सीबीएसई/3530468/एसएस-90241-2324/2023-24/ दिनांक 22.06.2023 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसमें आपके विद्यालय को 05 वर्षों की अवधि दिनांक 01.04.2023 से 31.03.2028 तक के लिए सीनियर सेकेंडरी स्तर तक (जैसा की अपग्रेडेशन पत्र में उल्लेखित है) अपग्रेड कर दिया गया है। बोर्ड से सेकेंडरी स्तर तक संबद्ध विद्यालय होने व क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून परिक्षेत्र के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत स्थित होने के सापेक्ष, आपके विद्यालय को बोर्ड द्वारा पूर्व में ही विद्यालय कोड 81689 आवंटित किया जा चुका है। चूंकि, बोर्ड द्वारा विद्यालय को अब सीनियर सेकेंडरी स्तर तक अपग्रेड किया गया है, तो विद्यालय को छात्रों के उत्थान एवं सर्वांगीण विकास हेतु सभी क्षेत्रों व क्रियाकलापों/गतिविधियों में स्वयं को अपग्रेड करने की आवश्यकता है, चाहे वह शैक्षिक हो, या सह-शैक्षिक हो।

This has reference to CBSE HQs letter no. **CBSE/3530468/SS-90241-2324/2023-24/ Dated 22.06.2023** regarding upgradation of the school for Senior Secondary Examination of the Board for a period of **05 years w.e.f. 01.04.2023 to 31.03.2028** with the subject mentioned in the upgradation letter. Being an affiliated school upto secondary level and located under the jurisdiction of CBSE, Regional Office Dehradun, your school has been already allotted School Code – **81689** and the school has grown to its present stature. Now, the school after getting upgradation needs to upgrade itself in all activities be it scholastic or co-scholastic for all round development of the students.


बोर्ड द्वारा विद्यालय को सीनियर सेकेंडरी स्तर (कक्षा 1 से 12वीं तक) तक के लिए अपग्रेड किया गया है, जिसके लिए यह कार्यालय आपके विद्यालय को एक मजबूत सहयोगी एवं वरिष्ठ सदस्य के तौर पर हार्दिक स्वागत करता है, साथ ही यह भी आशा करता है कि, विद्यालय समाज/राष्ट्र निर्माण में एक प्रमुख के तौर पर शिक्षा के मानको को स्थापित करने के साथ-साथ एक बड़ी जिम्मेदारी और भूमिका निभाये। बोर्ड से सम्बद्ध होने के तहत विद्यालय का प्रमुख कर्तव्य है कि, विद्यालय बोर्ड द्वारा निर्धारित संबद्धता एवं परीक्षा उप-नियमों में निहित प्रावधानों व बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से करें, इसके अतिरिक्त विद्यालय नियमित तौर पर बोर्ड की अधिकारिक वेबसाइट www.cbse.gov.in का विजिट करता रहे, साथ ही विद्यालय के शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों को भी बोर्ड के उप-नियमों, नियमों, प्रावधानों व विषय पाठ्यक्रम से सम्बन्धित जानकारी प्राप्त कराने हेतु उक्त नियमों/विनियमों का विधिवत अध्ययन करने हेतु प्रोत्साहित करें, तथा विद्यालय अपग्रेड पत्र में उल्लेखित समस्त शर्तों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित करें-

While complimenting the school for its upgradation to Senior Secondary level for Class 1 to 12, this office welcomes your school as a strong arm and senior member of CBSE to take a bigger role and responsibility for establishing it as a premier abode of education to serve the Society/Nation. Being a CBSE affiliate, it becomes imperative on the part of school to follow the provisions contained in the CBSE Affiliation & Examination Bye-laws, including instructions issued by the Board from time to time. In order to keep itself updated, the school must visit the website of the Board i.e. www.cbse.gov.in regularly and also motivate, encourage as well, the teachers and other staff for thorough study of the Bye-laws, Rules, Provisions and Syllabus Curriculum and various other activities of the Board. The school needs to fulfil all the conditions given in the upgradation letter including the following :-

Manager,
Sri Prabhu Greenville Children's Academy
Bahawalpur Bagwanpur (U.K.)



Handwritten signature
Sri Prabhu Greenville Children's Academy
Bahawalpur Bagwanpur (U.K.)



Contd...(2)

(2)

1. विद्यालय प्रवेश/परीक्षा के प्रकरणों पर बोर्ड के परीक्षा उप-नियम के नियम 6.1 और 12 (i, ii, & iii) के अनुसार निर्धारित आवश्यक दस्तावेजों और प्रक्रिया का पालन करने के साथ-साथ आयु मानदंड का भी विशेष रूप से ध्यान रखे। विद्यालय छात्रों के विद्यालयी रिकॉर्ड जैसे कि, प्रवेश फॉर्म, स्थानांतरण प्रमाणपत्र और प्रवेश विज्ञापन रजिस्टर, को विद्यालय में संरक्षित रखें, जिसके नमूने बोर्ड द्वारा विद्यालय को सेकेंडरी की सम्बद्धता प्रदान करने के समय दिये गये थे, जिससे कि, परिक्षेत्र के समस्त विद्यालयों के दस्तावेजों/फार्मेटों में समरूपता सुनिश्चित हो सके, साथ ही विद्यालय यह भी सुनिश्चित करें कि, प्रवेश के समय छात्रों द्वारा भरे गए प्रवेश फार्म को, माता-पिता के सर्विस रिकॉर्ड, आधार कार्ड, वोटर आई.डी., पार्सपोर्ट के साथ-साथ पिछले विद्यालय द्वारा जारी प्रमाणपत्रों के अनुरूप भरा हो, जैसे कि, छात्र का नाम, माता का नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि इति० जिससे कि, परिणाम उपरान्त भविष्य में होने वाले संसोधनों, त्रुटियों एवं सुधारों से बचा जा सके।

Admission to the school/examination is to be restricted as per Rule 6.1 and Rule 12 (i, ii, & iii) of Examination Bye-laws. While granting admission, required documentation and procedure prescribed by the Board must be adhered to, and special care be taken about eligibility in terms of age factor. The school shall ensure to properly keep the **School Records i.e. Admission Form, Transfer Certificate and Admission Withdrawal Register** to maintain complete record(s) of the students, for which **sample formats were provided at the time of secondary affiliation**, in order to ensure uniformity of the documents among all the schools of the Region/CBSE. Correct particulars of the students viz. **Candidate Name, Mother's Name, Father's Name, Date of Birth, etc.** be captured during admission, strictly on the basis of viable documentary records viz. Class-X documents, **Service Records of parents, Aadhar, Voter ID, Passport, vis-a-vis previous school records of candidates**, wherever applicable, so as to avoid post-result corrections.

2. जिस कक्षा के लिए प्रवेश मांगा जा रहा है, उसके लिए आयु-पात्रता मानदंड सुनिश्चित करने के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा। किसी भी विद्यालय की किसी भी कक्षा में प्रवेश चाहने वाला छात्र उस कक्षा में प्रवेश के लिए तभी पात्र होगा, जब वह राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित और उस स्थान जहां विद्यालय स्थित हो, पर लागू आयु सीमा (न्यूनतम और अधिकतम) की आवश्यकताओं को पूरा करता हो। अधिकांश राज्य सरकारों और के.वी.एस/एन.वी.एस. द्वारा अपनाई गई कक्षा 1 में प्रवेश के लिए सामान्य मानदंड के अनुसार आयु 5+ है, तदनुसार एक छात्र की आयु कक्षा 10वीं में 15+ और कक्षा 9वीं में 14+ होनी चाहिए।


The admission be granted only after **ascertaining the age eligibility criteria** for a particular class in which Admission is being sought. A student seeking admission to any class in a 'School' will be eligible for admission to that Class only if he/she satisfies the requirements of age limits (minimum and maximum) as determined by the State / UT Government and applicable to the place where the School is located. As per the normal criteria for admission in Class 1 adopted by most State Governments and KVS / NVS it is 5+, accordingly a student should be 15+ while in Class X and 14+ in Class IX.

3. विद्यालय विशेष रूप से ध्यान रखे कि, विद्यालय छात्रों को उन्ही विषयों को पढ़ाये, जिनकी अनुमति बोर्ड द्वारा अपग्रेडेशन पत्र के माध्यम से विद्यालय को दी गई हो तथा अन्य कोई विषय बिना बोर्ड की स्वीकृति के न पढ़ाया जाए।


The school will ensure that the Subjects being taught in the school are strictly as approval given in the upgradation letter and no other Subject be taught without approval.


Manager

Sri Prabhu Greenville Children Academ
Bahabalour Bhagwanpur (U.K.)


PRINCIPAL

Sri Prabhu Greenville Children Academy
Bahabalpur, Bhagwanpur (U.K.)
Aff. No.3530468, School Code: 81689



Contd...(3)

(3)

4. संबद्धता उप-नियम के नियम 14.2.4 के अनुसार, बोर्ड से संबद्धता प्राप्त कोई भी विद्यालय किसी भी छात्र, जो कि, विद्यालय में नियमित रूप से उपस्थित नहीं हुआ है, या बोर्ड की परीक्षा में भाग लेने के लिए न्यूनतम उपस्थिति आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता हो, को बोर्ड परीक्षाओं में सम्मिलित नहीं करेगा।

As per Rule 14.2.4, No affiliated School shall present the candidates to the Board's examination who are on its roll but have not attended the School regularly or do not meet the requirement of minimum attendance for appearance in the Board's examination.

5. संबद्धता उप-नियम के नियम 14.2.6 के अनुसार, बोर्ड से संबद्धता प्राप्त विद्यालय किसी भी छात्र को अन्य बोर्ड/विश्वविद्यालय की परीक्षा में नहीं भेजेगा। वह केवल सीबीएसई की सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी परीक्षाओं के लिए छात्र/छात्राओं को तैयार करेगा।

As per Rule 14.2.6, the School affiliated to the Board shall not send candidates for examination of any other Board/ University. It shall prepare candidates for the Secondary and Senior Secondary examinations of the CBSE only.

6. बोर्ड के संबद्धता उपनियमों के अनुलग्नक-V के अनुसार विद्यालय केवल उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं के अनुसार वर्गों की संख्या को सीमित करेगा। किसी कक्षा के एक सेक्शन में छात्रों की अधिकतम संख्या 40 से अधिक नहीं होनी चाहिए और विद्यालय के मिडिल एवं सेकेंडरी स्तर पर छात्रों की संख्या एक दूसरे के अनुपात में होनी चाहिए। विभिन्न विषयों को पढ़ाने के लिए अनुभाग-शिक्षक अनुपात 1:1.5 बनाए रखा जाएगा और स्कूल बोर्ड के संबद्धता उपनियमों के प्रावधानों के अनुसार नियमित आधार पर योग्य और प्रशिक्षित शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति करेगा।

The school is required to restrict the number of sections as per the infrastructure facilities available in the school as per Appendix-V of Affiliation Bye-laws. The optimum number of students in a Section of a class should not be more than 40 and a number of students at Middle and Secondary level of the school shall preferably be proportionate to each other. The Section-Teacher ratio of 1:1.5 to be maintained to teach various subjects and school shall appoint qualified and trained teaching staff on regular basis as per provisions of Affiliation Bye-laws of the Board.

7. संबद्धता उप-नियम के नियम 14.4 के अनुसार, बोर्ड से संबद्ध संस्थानों/विद्यालयों के भवन और फर्नीचर को बोर्ड परीक्षाओं के आयोजन और स्पोर्ट मूल्यांकन के सफल संचालन हेतु निशुल्क उपलब्ध कराएगा। विद्यालय प्रबंधन एवं प्रधानाचार्य द्वारा, बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं, मूल्यांकन एवं अन्य गतिविधियों हेतु बोर्ड को पूर्ण सहयोग करेगा। यदि बोर्ड द्वारा निर्देशित किया जाता है, तो विद्यालय द्वारा प्रस्तावित सभी विषयों के परीक्षकों के रूप में कार्य करने के लिए विद्यालय शिक्षक और प्रधानाचार्य प्रदान करेगा, यदि विद्यालय ऐसा करने में विफल रहता है, तो बोर्ड को विद्यालय की सम्बद्धता रद्द करने की कार्यवाही करने का अधिकार होगा।

As per Rule 14.4, the building and furniture of Affiliated Institutions shall be placed at the disposal of the Board for conducting any examination and spot evaluation free of charge. The management and the Principal shall cooperate with the Board in the conduct of examinations, evaluation of scripts and other ancillary activities. If directed by the Board, the School shall provide Teachers and Principal to act as examiners in all subjects offered by the School. In case they fail to do so, the Board shall have the right to take appropriate action including initiating action for disaffiliation of the School.



Contd...(4)


Manager
Sri Prabhu Greenville Children Academy
Bahabalour Bhagwanpur (U.K.)


PRINCIPAL
Sri Prabhu Greenville Children Academy
Bahabalpur, Bhagwanpur (U.K.)
Aff. No.3530468, School Code: 81689

(4)

8. सीनियर सेकेंडरी स्तर तक की मान्यता प्राप्त विद्यालय कक्षा 09वीं एवं 12वीं हेतु निर्धारित नियमों/आवश्यकताओं के अनुसार प्रयोगशालाओं/कार्यशालाओं और खेलों के उपकरणों सहित उपयुक्त सुविधाएं प्रदान करेंगे।

The schools up to Senior Secondary Level will provide suitable facilities including the equipment in laboratories/workshops and games for Classes IX and XII as per requirements laid down in rules.

9. संबद्धता उप-नियम के नियम संख्या 2.4.9 के अनुसार बोर्ड से संबद्ध विद्यालय को अपनी स्वयं की वेबसाइट विकसित करने की आवश्यकता है, जिसमें विद्यालय संबद्धता की स्थिति, अनुमत विषयों, पढ़ाये जा रहे विषयों, शिक्षकों का विवरण, छात्रों की संख्या, पोस्टल पता और ई-मेल, टेलीफोन नंबर, जैसी व्यापक जानकारी उपलब्ध हो।

As per Rule no. 2.4.9 of Affiliation Byelaws every affiliated school is required to **develop their own website** containing comprehensive information such as affiliation status, details of infrastructure, details of teachers, number of students, address-postal and e-mail, telephone nos. etc.

10. बोर्ड द्वारा समस्त संबद्धता प्राप्त विद्यालयों के लिए जारी परिपत्र संख्या 05/2018 दिनांक 27.03.2018, शीर्षक "विद्यालयों में बच्चों की सुरक्षा" के तहत जारी सुरक्षा दिशानिर्देशों का पालन करने से सम्बन्धित है। विद्यालय परिसर और विद्यालय परिवहन प्रणाली, यदि कोई हो, के माध्यम से आवागमन में बच्चों की पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करेगा।

The school is required to follow the safety guidelines, as issued by the Board vide Circular No. Affiliation 05/2018 dated 27.03.2018 captioned 'Safety of Children in schools' and shall ensure absolute safety of the children in school premises and transit thru school transport system, if any.

11. बोर्ड से सम्बद्ध प्रत्येक विद्यालय को सी.बी.एस.ई. विद्यालयों के स्थानीय सहोदय का सदस्य बनना और विद्यालय के शैक्षणिक विकास में सहोदय विद्यालय द्वारा संचालित गतिविधियों में भागीदारी सुनिश्चित करना अनिवार्य है।

It is mandatory for every affiliated school to become a member in the local Sahodaya of CBSE schools and ensure participation in activities being carried out by the Sahodaya School Complex in the academic development of the school.

12. विद्यालय को क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई ईमेल आईडी (81689@cbseshiksha.in) का उपयोग करना अनिवार्य होगा, जिसमें क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा आवंटित पांच आंको का विद्यालय कोड सम्मिलित हो।

School should mandatory use the email id 81689@cbseshiksha.in, as made available by this office (5 - Digit School code allotted by the Regional Office).


13. बोर्ड द्वारा समय-समय पर आयोजित सीबीपी/प्रशिक्षण/कार्यशालाओं के लिए विद्यालय को अपने शिक्षकों को अनिवार्य रूप से नामांकित करना होगा, व कार्यक्रम में भागीदारी हेतु शिक्षकों के कार्यमुक्ति की प्रक्रिया भी सुनिश्चित करनी होगी।

School must nominate its teachers for CBPs/Training/Workshops conducted by the Board from time to time and ensure relieving for participation as per schedule / directions.



Contd...(5)


Manager
Sri Prabhu Greenville Children Academ
Bahabalpur, Bhatnagar, Dehra Dun


PRINCIPAL
Sri Prabhu Greenville Children Academ
Bahabalpur, Bhatnagar, Dehra Dun
Phone No. 3530468, School Code: 81689

(5)

विद्यालय से यह भी अनुरोध है कि, "विकलांग व्यक्ति अधिनियम-1995, को 2016 के साथ पढ़ें", "छात्रों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009", "स्वच्छ भारत अभियान को बढ़ावा देना", "कैशलेस लेनदेन" और "डिजिटल इंडिया" की प्रक्रिया/प्रावधानों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करें, और सीबीएसई से अध्ययन के पाठ्यक्रम से संबंधित पुस्तकों, शिक्षक मैनुअल सहित सभी मैनुअल प्राप्त करना, ताकि छात्रों के व्यापक शैक्षणिक हित में बोर्ड के निर्देशों के अनुसार प्रणाली को मजबूत किया जा सके, साथ ही विद्यालय बोर्ड के दिशा-निर्देशों के अनुसार वेलनेस टीचर/काउंसलर की नियुक्ति भी सुनिश्चित करेगा।


You are requested to ensure implementation of procedure / provisions of 'Person with Disabilities Act-1995 read with as amended in 2016', Right of Children to Free and Compulsory Education Act-2009, promotion of Swachh Bharat Abhiyan, Cashless Transaction and Digital India, and to procure all the manuals including books, teachers manual (s) pertaining to the course of study from CBSE, so that system be strengthened as per instructions of the Board in the larger academic interest of the students. The school may also ensure to appoint Wellness Teacher/Counselor, as per guidelines of the Board.

इसके अलावा, बोर्ड सभी सम्बद्धता प्राप्त विद्यालयों को मजबूत करने के लिए विभिन्न पहल कर रहा है, जिसमें नए संबद्ध संस्थानों के पदाधिकारियों की आसानी और सुविधा के लिए, बोर्ड ने स्व-शिक्षण सामग्री पर एक प्रस्तुति तैयार की है जिसमें नए विद्यालयों के लिए आवश्यक उपयोगी जानकारी है, जो बोर्ड की अधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है, जो पुराने विद्यालयों के लिए भी उपयोगी है, साथ ही बोर्ड द्वारा प्रधानाचार्यों के लिए हैंडबुक, शिक्षकों के लिए हैंडबुक, छात्रों के लिए हैंडबुक और साइबर सुरक्षा पर हैंडबुक, जो इस पत्र के साथ विद्यालय की जानकारी और संदर्भ के लिए भेजी जा रही है, को भी प्रस्तावित किया गया है। बोर्ड द्वारा जारी परिपत्र संख्या Acad. 35/2020 के तहत नये सम्बद्धता प्राप्त विद्यालयों के लिए विकसित स्व-शिक्षण सामग्री (एसएलएम) का अध्ययन करने का अनुरोध किया जाता है।


Besides, the Board has been taking various initiatives to strengthen the CBSE affiliates. For ease and convenience of the functionaries of newly affiliated institutions, the Board has prepared a presentation on Self Learning Material containing useful information required by new schools, which is available on Board's website which is useful for old schools also. The Board has also introduced - **Handbook for Principals; Handbook for Teachers; Handbook for Students and Handbook on Cyber Safety** which are being forwarded herewith this letter for information and reference of the school. **The school is requested to study the Self - Learning Material (SLM) developed by the Board for newly affiliated schools. Circular No. Acad. 35/2020.**

विद्यालय द्वारा बोर्ड से किए जाने वाले प्रत्येक पत्राचार में संबद्धता संख्या, विद्यालय कोड, मोबाइल/फोन नंबर, ईमेल आईडी, विद्यालय के प्रधानाचार्य की मुहर और हस्ताक्षर सहित एक कवरिंग लेटर हेड होना अति-आवश्यक है, इससे विद्यालय को बोर्ड के साथ शीघ्र संवाद करने/आवश्यकता के अनुसार मामलों का निपटान एवं निष्पादन करने में मदद मिलेगी। विद्यालय द्वारा बोर्ड को प्रेषित प्रकरणों के त्वरित निष्पादन हेतु, इस क्षेत्रीय कार्यालय के परिक्षेत्रागत के विद्यालय अब इलेक्ट्रॉनिक मोड में ई-हरकारा के माध्यम से अपने अनुरोध भेजेंगे, जो कि विद्यालयों के लिए रैपिड कम्युनिकेशन सिस्टम है (ऑनलाइन के माध्यम से पेपरलेस कामकाज को सक्षम करने के लिए, फाइल के निर्माण, संदर्भ, पत्राचार संलग्नक, अनुमोदन और अंत में फाइलों के साथ-साथ रसीदों की आवाजाही और ट्रैकिंग के साथ पत्राचार को स्कैन करना, दर्ज करना और रूट करना), मूल/मैनुअल दस्तावेज केवल आवश्यक होने पर और इस कार्यालय द्वारा मांगने/वांछित होने पर ही भेजे जा सकते हैं।

Each correspondence to the Board should have a covering letter bearing the Affiliation No., School No., Mobile/Phone No., email id, seal and signature of the Principal of the school and must be complete in all respect. This helps the Board to promptly communicate with school/disposal of cases as per requirement and improve efficiency. In order to improve efficiency, speedy disposal of communication, now onwards, the schools under the jurisdiction of this Regional Office will send their requests in electronic mode through e-HARKARA, which is Rapid Communication System for schools (to enable a paperless functioning through online; scanning, registering and routing the correspondences along with creation of file, referencing, correspondence attachment, approvals and finally movement and tracking of files as well as receipts). **Original/manual documents may be sent only if necessary and desired by this office.**


Manager
Sri Prabhu Greenville Childrens Academy
Bahabalour Bhagwanpur (U.K.)




PRINCIPAL
Sri Prabhu Greenville Childrens Academy
Bahabalpur, Bhagwanpur (U.K.)
Affi. No.3530468, School Code: 31689

Contd...(6)

(6)

- ई-हरकारा के लिए लिंक सीबीएसई की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
- The link for e-HARKARA is available at CBSE website.
- पूछताछ के लिए नीचे दिए गए फोन नंबरों पर संपर्क करें -
- **Please contact to under mentioned phone no's. for query, if any:-**

1. संगणक शाखा / Computer Branch - 7579214383
2. परीक्षा 10वीं / Examination 10th Branch - 0135-2757744 (103)
3. परीक्षा 12वीं / Examination 12th Branch - 0135-2757744 (102)
4. गोपनीय शाखा / Confidential Branch - 0135-2757744 (301)

बोर्ड से सम्बद्धता प्राप्त सेकेंडरी एवं सीनियर सेकेंडरी विद्यालय सुनिश्चित करें कि, बोर्ड से पत्राचार करने से पूर्व कृपया बोर्ड के नियमों/उप-नियमों और बोर्ड के पत्र संख्या : COORD/PRINTING/2020 dated 01.09.2020 को जारी फ्रेमवर्क एण्ड सिगनिफिकेंट गाईडलाईन में उल्लेखित महत्पूर्ण दिशा-निर्देशों का सावधानीपूर्वक अध्ययन/अनुसरण किया जाए, और यह भी सुनिश्चित करें कि, बोर्ड को प्रस्तुत किए गए मामले नियमानुसार हों।

Please ensure that the Rules / Guidelines / Bye-Laws of the Board and Framework and Significant Guidelines in the Context of the Secondary and the Senior School Certificate Examination issued vide letter no. COORD/PRINTING/2020 dated 01.09.2020 are carefully studied / followed and before sending any correspondence to this office please also ensure that cases submitted to the Board are as per rules.

भवदीय,

Yours faithfully,



(गोपाल दत्त)
(Gopal Datt)

उप सचिव
Deputy Secretary

नोट:-

NOTE :-

1. इस पत्र के किसी भी बिन्दु या नियम की व्याख्या से संबंधित किसी भी प्रश्न पर, अंग्रेजी संस्करण को सही माना जाएगा।

On any question pertaining to its interpretation of any provision of this letter, The English version shall be treated as correct.

Sri Prabhu Greenville Children Academ

Sri Prabhu Greenville Children Academ
Rohatapur, Rhaawapur (U.K)